राजधानी में हरियाली के नाम पर ग्रेटर निगम में धांधली की तैयारी?

10 फीट का जो पेड़ ग्रेटर निगम 270 में खरीदेगा, हैरिटेज उसके 135 से 150 रु. ही चुकाएगा

- कार्यालय संवाददाता-

- जेडीए ने भी 160 से 170 रुपए में ही खरीदे है ठेकेदारों से 10 फीट ऊंचे पेड़, फिर आमजन को 50 रुपए की रियायती दरों पर बांटे थे
- हेरिटेज नगर निगम ने भी ''वन टाइम प्लांटेशन'' के लिए करीब 25 से 29 लाख रुपए तक के 4 जोन में टैंडर लगाए थे। परन्तु यहां सभी ठेकेदारों को निविदा में भाग लेने का अवसर मिला, इसका नतीजा यह हुआ कि यह टेंडर करीब 50 से 55 प्रतिशत कम राशि पर खुले

जयपुर। ग्रेटर निगम के अफसर और ठेकेदार हरियाली के नाम पर ''ग्रेट'' धांधली की तैयारी में जुटे है। इस मानसून में वन टाइम प्लांटेशन के लिए ग्रेटर निगम प्रशासन 10 फीट के जो पेड़ ठेकेदारों से 270 से 285 रुपए तक में खरीदेगा, वहीं पेड़ हैरिटेज निगम में आधी कीमत यानी कि 135 से 150 रुपए तक में खरीदे जाएंगे। इसका खुलासा गुरुवार को टैंडर की वित्तीय बीड जारी होने के बाद हुआ है।

मजेदार बात यह है कि जेडीए प्रशासन ने भी यही पेड़ ठेकेदारों से 160 से 170 रुपए के बीच खरीदे है। ऐसे में सवाल यह उठ रहे है कि आखिर ग्रेटर निगम प्रशासन ही जानबूझकर करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान क्यों झेलने पर उतारू है। जबकि तीनों विभागों ने पौधों की एक समान खरीद दर 300 रुपए तय की थी। जिसमें नीम, शीशम, करंज, गुलमोहर, अमलतास, अशोक, चंपा, आंवला, सीताफल, खेजड़ी, अर्जुन, बालम खेड़ा, कनेर, हरसिंगार, शहतूत, अमरूद, पीपल, जामुन, बेलपत्र, गुड़हल, मौलश्री, चंदन और आम के पेड़ शामिल है।

सूत्रों की माने तो ग्रेटर नगर निगम की उद्यान शाखा ने इस बार ''वन टाइम प्लांटेशन'' के 30 लाख रुपए से कम के टेंडर में भी कुछ ऐसी शर्ते जोड़ दी थी, जिसके कारण ''डी'' श्रेणी के ठेकेदार चाहते हुए भी इसमें शामिल नहीं हो पाए। इस कारण इन निविदाओं में सिर्फ चुनिंदा फर्मों ने ही भाग लिया और मात्र 7 से 9 प्रतिशत कम राशि डालकर मेसर्स जसवाल बिल्डर ने यह टैंडर छुड़वा लिए।

हालांकि जैसे ही यह मामला आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के संज्ञान में आया तो उसके बाद उद्यान शाखा इस फर्मों को कार्यादेश नहीं दे पाई। इस संबंध में कमिश्नर सैनी ने भी साफ कहा है कि, वे खुद इस प्रकरण को दिखवाएंगे और नियमानुसार ही कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कोई कार्य नहीं होगा, जिससे निगम अथवा राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हो।

वहीं दूसरी ओर हेरिटेज नगर निगम ने भी ''वन टाइम प्लांटेशन'' के लिए करीब 25 से 29 लाख रुपए तक के 4 जोन में टैंडर लगाए थे। परन्तु यहां सभी ठेकेदारों को निविदा में भाग लेने का अवसर मिला। इसका नतीजा यह हुआ कि यह टेंडर करीब 50 से 55 प्रतिशत कम राशि पर खुले। आदर्श नगर जोन में 29.70 लाख का ठेका 13.64 लाख, सिविल लाइंस का 28.95 लाख का टेंडर 13.42 लाख, किशनपोल जोन का 25 लाख का ठेका 12.55 तथा हवामहल जोन का 27.30 लाख का ठेका 12.97 लाख रुपए में खुला है।

महेश जोशी की जमानत याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े ईडी प्रकरण में आरोपी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका को जमानत सुनने के लिए तय की गई एकलपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा है। जहां जोशी की जमानत पर आगामी सप्ताह में सुनवाई होगी। जस्टिस आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश महेश जोशी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाएं सुनने के लिए नया रोस्टर आ गया है। ऐसे में प्रकरण को नियमित बेंच के समक्ष भेजा जा रहा है।

जमानत याचिका में कहा गया कि प्रकरण में उसे फंसाया गया है। प्रकरण को लेकर एसीबी में दर्ज मूल केस में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है। याचिकाकर्ता को एक साल पहले नोटिस दिया गया।

हाईकोर्ट एल.डी.सी.भर्ती में नकल करने वाले पकड़े

हर माह देनी होगी थाने में हाजिरी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट की ओर से आयोजित एलडीसी भर्ती-2022 में ब्लूटूथ से नकल कर चयनित होने के मामले में आरोपी राकेश कस्वां को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने आरोपी को आदेश दिए हैं कि वह हर माह की 25 तारीख को संबंधित थाने में पेश होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और थानाधिकारी उसकी उपस्थिति की मासिक रिपोर्ट संबंधित निचली अदालत में पेश करे। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश राकेश कस्वां की द्वितीय जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

जमानत याचिका में कहा गया कि प्रकरण में उसे झूठा फंसाया गया है। वह गत 30 जनवरी से जेल में बंद है। याचिकाकर्ता के अपनी पहली जमानत याचिका को मामले में आरोप पत्र पेश होने के बाद पेश करने का कहकर वापस लेने के आधार पर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। मामले में अब निचली अदालत में आरोप पत्र पेश हो चुका है। जिसमें अभियोजन पक्ष के 54 गवाह है। ऐसे में प्रकरण की सुनवाई पूरी होने में समय लगेगा। वहीं प्रकरण के सह आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता भर्ती में नकल करने का दोषी है। वह हाईकोर्ट की ओर से आयोजित एलडीसी भर्ती में नकल कर चयनित हुआ है। ऐसे में उसकी जमानत याचिका को खारिज किया जाए।

तुलसीदास जयंती मनाई

जयपुर। जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग में गुरुवार को गोस्वामी तुलसीदास की 528वीं जयंती के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में दर्शन विभाग के अध्यक्ष शास्त्री कोसलेंद्रदास ने रामभक्ति परंपरा में रामचरितमानस विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास केवल भक्त कवि ही नहीं थे, वे मर्यादा के सबसे बडत्रे ग्रंथ के निर्माणकर्ता भी थे। रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय समाज की नैतिकता, मर्यादा और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत दस्तावेज है। इसमें नीति, भक्ति, लोक-व्यवस्था, समाजशास्त्र, करुणा और धर्म के ऐसे सूत्र हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं।

उन्होंने कहा कि तुलसीदास ने श्रीराम को ऐसे लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया जो मर्यादा, समता और करुणा के प्रतीक हैं।

ग्राम विकास अधिकारी सात हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

ग्राम विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की भिवाड़ी टीम ने कार्रवाई करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के लिए मिलने वाली राशि की एवज में सात हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते ग्राम पंचायत पालपुर पंचायत समिति तिजारा जिला खैरथल-तिजारा के ग्राम विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता को गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी भिवंडी टीम परिवादी ने शिकायत दी कि उसने सन् 2017 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के लिए मिलने वाली राशि के लिए ग्राम पंचायत पालपुर में प्रार्थना पत्र लगाया था। जो सन 2023 में पास हो गया था। उसने मकान के निर्माण के लिए उसे ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम पंचायत सेक्रेटरी) द्वारा दो किस्त 15 हजार रुपये व 45 हजार रूपये की दिलवा दी गई और उसने मकान का निर्माण भी कर लिया।

उसके मकान की अब तीसरी किस्त करीब 60 हजार रुपये की आई हुई है, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने उसे किस्त दिलवाने के लिए 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। जिस पर एसीबी टीम भिवंडी के उप पुलिस अधीक्षक परमेश्वर लाल के नेतृत्व में ट्रेप की कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता को सात हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है।

सीवर लाइन निर्माण से झोटवाड़ा में विकास को मिली नई रफ्तार

जयपुर। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं झोटवाड़ा से लोकप्रिय भाजपा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ द्वारा लगातार ठोस पहलें की जा रही हैं। इसी क्रम में क्षेत्र में 48.18 करोड़ की लागत से आधुनिक सीवर लाइन नेटवर्क का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। 32.28 करोड़ से वार्ड 51 अंतर्गत सी जोन बाईपास से पीएनआर नार्थ होते हुए सिरसी रोड से रंगोली गार्डन तक सीवर लाइन का निर्माण कार्य जारी है।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ध्वज की पूजा-अर्चना कर डिग्गी यात्रा को रवाना किया

- सावन की फुहारों के बीच भक्तिभाव से सराबोर निकली पदयात्रा
- बारिश में भी नहीं डिगा श्रद्धालुओं का उत्साह

जयपुर। सावन की रिमझिम बारिश के बीच जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर से डिग्गी कल्याण जी की भव्य पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। राज्य की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधिवत ध्वज पूजा-अर्चना कर यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विधायक गोपाल शर्मा और कई संत-महंत भी मौजूद रहे।

यात्रा में श्रद्धालुओं का अपार उत्साह देखने को मिला। हाथी, घोड़े, ऊंट, बैंड-बाजों के साथ यात्रा का शाही रूप दिखाई दिया। शिव-पार्वती, हनुमान और राधा-कृष्ण की भव्य झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं।

हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति वाली इस यात्रा में कई लोग कनक दंडवत करते हुए आगे बढ़ते नजर आए। जगह-जगह सेवार्थ स्टॉल्स पर फल, पानी, जूस आदि वितरित किए गए।

भारी बारिश के बावजूद श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते दिखे। महिलाओं और युवतियों ने नृत्य कर अपनी भक्ति प्रकट की। इस बार सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कनक दंडवत करती दिखाई दीं, जिससे यह पदयात्रा और भी विशेष बन गयी।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा- बारिश हो रही है और डिग्गी कल्याण जी का आशिर्वाद है। श्रद्धालुओं का उत्साह अपार है।

'आमजन के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैनात'

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं खंडार विधायक जितेन्द्र गोठवाल ने क्षेत्र में लगातार हो रही अतिवृष्टि को देखते हुए आमजन से सतर्क, सावधान एवं सुरक्षित रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में जनहित और जनसुरक्षा ही भजनलाल सरकार की प्राथमिकता है। आपदा प्रबंधन के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। गोठवाल ने क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण क्षितग्रस्त हुई ओंघाड़ पुलिया का मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और लोगों के साथ मिलकर राहत कार्य में सहयोग किया। विधायक जितेंद्र गोठवाल ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अस्थायी पुलिया निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया।

भाजपा महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि ''जनसेवा ही मेरा धर्म है और संकट की इस घड़ी में प्रशासन एवं भाजपा कार्यकर्ता क्षेत्र की जनता के साथ हर कदम पर खड़े हैं।'' उन्होंने यह भी दोहराया कि भाजपा सरकार, विशेष रूप से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पूरी तरह से जनता की सेवा को समर्पित है और हर आवश्यक कदम तेजी से उठाए जा रहे हैं।

'मालेगांव ब्लास्ट पर ऐतिहासिक फैसला और सत्य की जीत'

- कांग्रेस ने गहरी राजनीतिक साजिश के तहत मालेगांव ब्लास्ट मामले को हिंदू आतंकवाद का दिया था स्वरूप : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एंवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने मालेगांव ब्लास्ट मामले में न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए सत्य की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय ने भारतीय न्यायपालिका की निष्पक्षता, दृढ़ता और सत्यनिष्ठा को एक बार फिर प्रमाणित कर दिया है। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के नशे में चूर होकर एक गहरी राजनीतिक साजिश के तहत इस मामले को भगवा आतंकवाद और हिंदू टेरर की दिशा देने की कोशिश की। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित और अन्य निर्दोष राष्ट्रभक्तों को झूठे आरोपों में फंसाया गया। एक साधारण मोटरसाइकिल को सबूत बनाकर झूठी चार्जशीट दाखिल की गई, मनगढ़ंत कहानियां रची गईं और झूठे गवाह तैयार किए गए, जो अदालत की सख्त निगाहों के आगे टिक नहीं पाए।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि यह महज एक जांच एजेंसी की भूल नहीं थी, बल्कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा रची गई राजनीतिक साजिश थी। सुशील कुमार शिंदे, दिग्विजय सिंह, और पी. चिदंबरम जैसे नेताओं ने बार-बार भगवा आतंकवाद और हिंदू टेरर जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिससे न केवल देशवासियों की भावनाएं आहत हुईं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदू संस्कृति को कलंकित करने की कोशिश की गई। कांग्रेस की इस नीति का मकसद केवल वोट बैंक की राजनीति करना था – निर्दोष राष्ट्रभक्तों को फंसाकर बहुसंख्यक हिंदू समाज को आतंक से जोड़ना, ताकि तुष्टिकरण की राजनीति को बल मिल सके, लेकिन अंततः न्यायालय ने सत्य की परतें उजागर कर दीं, और झूठ की इमारत भरभरा कर गिर पड़ी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में दिया गया बयान – ''हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता'' – आज इस फैसले के माध्यम से न्यायिक रूप से भी प्रमाणित हुआ है।

फार्मासिस्ट भर्ती में खेल कोटे में एक पद खाली रखने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती-2023 में खेल कोटे में एक पद खाली रखने का निर्देश दिया है। वहीं मामले में राज्य सरकार एवं निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश साक्षी यादव की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता अंकुर श्रीवास्तव ने बताया कि याचिकाकर्ता ने फार्मासिस्ट भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन किया था। उसे दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया, लेकिन अंतरिम व अंतिम वरीयता सूची में उसे शामिल नहीं किया गया। जब उसने इस संबंध में अपनी परिवेदना दी तो उसे यह कहते हुए निस्तारित कर दिया कि उसका सर्टिफिकेट अंतिम कट ऑफ की तारीख का है।

इसे याचिका में चुनौती देते हुए कहा कि उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट अंतिम दिनांक से पहले का है और ऐसे में वह नियुक्ति पाने की हकदार है। इसलिए उसे फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एक पद खाली रखने के लिए कहा।

साइबर अपराधों को लेकर लिया गया स्वप्रेरित प्रसंज्ञान निस्तारित

- अदालत ने कहा कि मामले में राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में याचिका पर अब आगे सुनवाई करना जरूरी नहीं है

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट व साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं को लेकर लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान याचिका को निस्तारित कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामले में राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में याचिका पर अब आगे सुनवाई करना जरूरी नहीं है। सीजे केआर श्रीराम और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि मामले में राज्य सरकार की ओर से अपना जवाब पेश किया जा चुका है। जिसमें मामले में राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी गई है।

इसके अलावा भविष्य में भी राज्य सरकार की ओर से डिजिटल अरेस्ट व साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं न्यायमित्र अनुराग कलावटिया ने कहा कि मामले में कई बिंदुओं पर राज्य सरकार को दिशा-निर्देश दिए जाने की जरूरत है। इस पर अदालत ने कहा कि मामले में राज्य सरकार की ओर से प्रभावी कार्रवाई की गई है और भविष्य के लिए भी अदालत को आश्वस्त किया गया है। ऐसे में याचिका का निस्तारण किया जाता है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 22 जनवरी को मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए कहा था कि डिजिटल अरेस्ट व साइबर क्राइम के मामले दुनियाभर में बढे हैं और भारत देश में भी लाखों लोग इनसे प्रभावित हुए हैं।

इसके चलते हजारों निर्दोष लोगों ने ना केवल अपनी कमाई खो दी, बल्कि कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। डिजिटल अरेस्ट व साइबर क्राइम से हर क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं और इन अपराधों से आमजन को बचाने और इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है।

कनिष्ठ लिपिक और संविदा कर्मी पैंतीस हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

कर्मवीर सिंह हाडा और शिव महेश योगी को पैंतीस हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की बूंदी टीम ने कार्रवाई करते हुए कार्यालय उपखंड अधिकारी लाखेरी जिला बूंदी के कनिष्ठ लिपिक (रीडर) कर्मवीर सिंह हाडा और संविदाकर्मी कम्प्यूटर ऑपरेटर शिव महेश योगी को पैंतीस हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपित परिवादी से भारतमाला सड़क परियोजना में अवाप्तशुदा स्वयं की जमीन का मुआवजा प्राप्त करने के लिए दावा उपखंड कार्यालय लाखेरी में किया गया था और इसके वाद का निर्णय परिवादी के पक्ष में करवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी बूंदी टीम को परिचादी ने शिकायत दी कि कनिष्ठ लिपिक (रीडर) कर्मवीर सिंह हाड़ा द्वारा परिवादी से भारतमाला सड़क परियोजना में अवाप्तशुदा स्वयं की जमीन का मुआवजा प्राप्त करने के लिए दावा उपखंड कार्यालय लाखेरी में किया गया था। उक्त वाद का निर्णय परिवादी के पक्ष में करवाने की एवज में 50 हजार हजार रिश्वत की मांग की जा रही थी। जिस पर एसीबी उप पुलिस अधीक्षक हरीश भारती के नेतृत्व में ट्रेप की कार्रवाई करते हुए संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यालय उपखंड अधिकारी लाखेरी जिला बूंदी शिव महेश योगी के माध्यम से 35 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।

जिला आबकारी टीम ने नकली शराब सहित नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया

जिला आबकारी ने दो चौपहिया वाहन 1 स्कॉर्पियो एवं 1 इनोवा क्रिस्टा तथा 01 दोपहिया वाहन के साथ 9 मुल्जिम गिरफ्तार किये।

- अभियान के दौरान स्कॉर्पियो से 40 पेटी नकली होलोग्राम युक्त देशी मदिरा बरामद कर गिरफ्तार शुदा आरोपितोंसे पूछताछ के आधार पर 5 अन्य ठिकानों पर दबिश देकर माल जब्त किया

जयपुर। जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर देविका तोमर के निर्देशन में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम देते हुए 29 अभियोगों में नकली शराब के साथ नौ आरोपितों गिरफ्तार किया गया है। सहायक आबकारी अधिकारी प्रदीप बिश्नोई एवं आबकारी अधिकारी आबकारी निरोधक दल शिवकुमार चौधरी की अगुवाई में आबकारी निरीक्षकों एवं प्रहराधिकारियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर द्वारा जारी विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत अभियोग 29 दर्ज किये। जिसमें से 7 अभियोग विशेष प्रकृति के दर्ज किए गए। विशेष निरोधात्मक अभियान के दौरान दो चौपहिया वाहन 1 स्कॉर्पियो एवं 1 इनोवा क्रिस्टा तथा 01 दोपहिया वाहन के साथ 9 मुल्जिम गिरफ्तार किये। अन्य राज्य में विक्रय हेतु 11 बोतले एक कार में जब्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

अभियान के दौरान स्कॉर्पियो से 40 पेटी नकली होलोग्राम युक्त देशी मदिरा बरामद कर गिरफ्तार शुदा आरोपितोंसे पूछताछ के आधार पर 5 अन्य ठिकानों पर दबिश देकर माल जब्त किया तथा अन्य अभियोगों में देशी मदिरा के 3 हजार 599 पव्वें, 04 अंग्रेजी अद्दे, 20 अंग्रेजी पव्वे, 03 बीयर, 01 फीज बरामद किया गया। अवैध मदिरा के विक्रय भण्डारण एवं परिवहन पर पूर्णतया अंकुश लगाने के लिए निरोधात्मक कार्यवाही लगातार जारी है।

सार-समाचार

एफ.सी.आई. क्षेत्रीय कार्यालय,जयपुर में वेंडर विकास कार्यक्रम का आयोजन

जयपुर। खाद्य निगम भारत, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से दिनांक 29 जुलाई 2025, मंगलवार को वेंडर विकास कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यिमयों, महिला उद्यिमयों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा एनएसआईसी पंजीकृत विक्रेताओं को एफसीआई की सार्वजनिक खरीद प्रणाली से जोढ़ना और उन्हें सरकारी व्यापार के अवसर उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम में एफसीआई के वरिष्ठ अधिकारी अर्जुन कुमार यादव, उप महाप्रबंधक (क्षेत्रीय), प्रदीप कुमार बेहरा, उप महाप्रबंधक, हितेश कुमार, सहायक महाप्रबंधक, मंजूलाल मीणा, प्रबंधक, गोविंद सिंह रावत की उपस्थिति रही। डिक्की राजस्थान चैप्टर का प्रतिनिधित्व करते हुए, प्रदेश अध्यक्ष देवकीनंदन गोधा एवं नेक्स्टजेन वर्टिकल प्रमुख निमेश बाबा ने कार्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुलदीप सिंह राजपूत लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, वक्रम जयंत, एनएसआईसी, संजय मीणा, सहायक निदेशक, अनीला चोरढ़िया, सहायक निदेशक उपस्थिति रहे।

इवेंट ब्रूज़ एंड बियॉन्ड में कॉफी पर खास बातचीत

जयपुर। कॉफी के ज़ायकों और ज़िंदादिली से जयपुर उस समय सराबोर रहा, जब देश की अग्रणी कॉफी इक्विपमेंट और इनोवेशन कंपनी, कापी सॉल्यूशंस ने शहर के चहेते कैफे कॉफी सूत्रा के साथ मिलकर एक विशेष आयोजन- ब्रूज़ एंड बियॉन्ड किया। इस एक्सपेरेंशल इवेंट में भारत के कॉफी और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े कुछ जाने-माने चेहरे एक साथ नज़र आए। कॉफी सूत्रा के खूबसूरत कैफे में हुए इस दो घंटे के सेशन में एक तरफ जहाँ कम्युनिटी का जुड़ाव देखने को मिला, वहीं इंडस्ट्री के नए आइडिया और इनोवेशन भी सामने आए। शहरभर से बारिस्ता, कैफे ऑनर, एफ एंड बी प्रोफेशनल्स, मीडिया और कॉफी के शौकीन लोग इसमें शामिल हुए। शाम की शुरुआत एक दिलचस्प पैनल चर्चा से हुई, जिसका विषय था, क्राफ्ट, कम्युनिटी और भारत में कॉफी का भविष्य। इस चर्चा का संचालन कापी सॉल्यूशंस के सीईओ विक्रम खुराना ने किया, जो कॉफी के जाने-माने जानकार हैं और भारत में स्पेशलिटी कॉफी को बढ़ावा देने में अहम् भूमिका निभा चुके हैं। एक प्रशिक्षित बारिस्ता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉफी जज होने के नाते, विक्रम ने सोर्सिंग इथिक्स, ब्रूइंग टेक्निक्स, कैफे कल्चर और भारतीय स्वाद में हो रहे बदलाव जैसे कई दिलचस्प मुद्दों पर बातचीत को दिशा दी।

पीड़ित प्रतिकर मीटिंग का आयोजन

जयपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक्शन प्लान 2025-26 के अनुसार माह जुलाई, 2025 में दिए गए दिशा-निर्देशों की पालना में रीटा तेजपाल, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जयपुर महानगर द्वितीय की अध्यक्षता में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम मीटिंग का आयोजन किया गया। पल्लवी शर्मा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जयपुर महानगर द्वितीय ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन को त्वरित न्याय दिलाने के क्रम में मीटिंग में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत हत्या, दुष्कर्म, मानव तस्करी आदि अपराधों के पीड़ित पक्ष द्वारा प्रस्तुत कुल 13 प्रार्थना पत्रों पर कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यगण द्वारा विचार-विमर्श कर प्रतिकर राशि/अवार्ड पारित किए गए। उक्त प्रकरणों को निस्तारित करते हुए कुल रुपये 14,25,000 राशि का अवार्ड पारित हुआ।

रिटायर्ड कस्टम अधिकारी की गला घोंटकर हत्या

जयपुर। रामनगरिया थाना इलाके में सब्जी वाले ने रिटायर्ड कस्टम अधिकारी की गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की वजह आरोपित ने रिटायर्ड कस्टम अधिकारी के मोबाइल पर बैंक बैलेंस का मैसेज देख लिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपित सब्जी वाले गिरफ्तार कर लिया है।पुलिस उपायुक्त जयपुर (डीसीपी पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि यह मामला शहर के रामनगरिया थाना क्षेत्र के जगतपुरा स्थित लोटस विला का है। जहां रिटायर्ड कस्टम अधिकारी ओमप्रकाश खोबर (88) अपने फ्लैट में पिछले 14 साल से अकेले रहते थे। पुलिस को फ्लैट में शव होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बिस्तर पर उसका शव पड़ा था। इसके साथ ही गले पर खरोंच के निशान थे और मोबाइल गायब था। हालांकि पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया था। लेकिन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उनकी बेटी सुषमा की ओर से हत्या का मामला दर्ज करवाया गया।

दो इनामी वारंटी चढ़ा पुलिस के हत्थे

जयपुर। जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) जयपुर पश्चिम और हरमाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार 25 हजार रुपये के इनामी वारंटी अशोक सैनी व 10 हजार रुपये के इनामी वारंटी चरणजीत सिंह को पकड़ा है। पुलिस जांच में सामने आया कि वारन्टी अशोक सैनी नीट परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने में व चरणजीत सिंह एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में वांछित थे। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर (पश्चिम) हनुमान प्रसाद ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध शाखा) जयपुर राजस्थान वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। जिसके अन्तर्गत नीट परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने में मामले में फरार 25 हजार रुपये के इनामी अशोक सैनी निवासी चौमूं और एनडीपीएस एक्ट मामले में फरार 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी चरणजीत सिंह निवासी माहिलपुर जिला होशियारपुर (पंजाब) को गिरफ्तार किया गया है।